रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-11102025-266859
CG-CG-E-11102025-266859

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4446] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 7, 2025/आश्विन 15, 1947
No. 4446] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 7, 2025/ASVINA 15, 1947

रेल मंत्रालय
(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)
अधिसूचना

बिलासपुर, 3 अक्तूबर, 2025

रेल अधिनियम 1989 की धारा 20ए के तहत अधिसूचना

का.आ. 4574(अ).— रेल अधिनियम 1989 की धारा 20ए की उपधारा (1) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया हैं) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए (89 का 24) केन्द्रीय सरकार, सार्वजनिक उद्देष्य के लिए संतुष्ट होने के बाद ऐसी भूमि का, जिसका संक्षिप्त वर्णन संलग्न अनुसूची में दिया गया हैं, जो कि विषय रेल परियोजना अर्थात् **"बिलासपुर डिवीजन: जयरामनगर-अकलतरा के बीच किमी 694/21-23 पर मानवयुक्त नियंत्रण रेखा संख्या 354 के स्थान पर आरयूबी (बॉक्स पुशिंग विधि द्वारा) का निर्माण।"** परियोजना (जांजगीर-नैला जिला) के ,छत्तीसगढ़ राज्य में निष्पादन के लिए आवश्यक हैं, एतद् द्वारा अधिग्रहण करने के अपने आशय की घोषणा करती हैं, उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उपधारा (1) के अधीन, पुर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन एवं उपयोग के संबंध पर आक्षेप कर सकेगा; ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, यानि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), **जांजगीर-नैला** को **अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जाजगीर** छत्तीसगढ़ को लिखित में किया जाएगा और उसके आधार उपवर्णित किये जायेंगें तथा सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को वैयक्तिक रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई

करने तथा ऐसी अतिरिक्त जॉच, यदि कोई हो तो, करने के पश्चात्,जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या अन अनुज्ञात कर सकेगा; उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा । इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक एवं अन्य ब्योरे उपलब्ध है हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उनका निरीक्षण सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय मे किया जा सकता हैं।

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य में रेल लाईन–विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, **"बिलासपुर डिवीजन: जयरामनगर-अकलतरा के बीच किमी 694/21-23 पर मानवयुक्त नियंत्रण रेखा संख्या 354 के स्थान पर आरयूबी (बॉक्स पुशिंग विधि द्वारा) का निर्माण।"** (जांजगीर-नैला जिला) के लिए अधिग्रहण किए जाने वाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरणः–

जिला का नामः– जांजगीर-नैला

तहसील का नामः– अकलतरा

क्र.	ग्राम का नाम	क्र.	खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे0)
1	2	3	4	5
1	लटिया	1.	258/15	0.001027
		2.	235/9	0.002903
		3.	235/6	0.0006
		4.	235/3	0.005625
		5.	230/3	0.00882
		6.	229/2	0.000522

कुल भूमि (लटिया) – 0.019497 हे0

[फां. सं. डीवाई.सीई/जीएसयू/ /बी एस पी/आर ओ बी/एल सी संख्या 354/भूमि अधिग्रहण/3]

संजय बा. नागभिडकर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण/आरएसपी

MINISTRY OF RAILWAYS

(S.E.C. Railway)

NOTIFICATION

Bilaspur, the 3rd October, 2025

Notice under Section 20 A of the Railways Act 1989

S.O. 4574(E).— In exercise of Powers conferred by sub section (1) of section 20A of the Railways Act 1989 (24 of 89) (hereinafter referred as the said act),the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, brief description of which is given in the schedule annexed hereto is required for execution of Special Railway project, namely **"Bilaspur Divn.: Construction of RUB (by BOX Pushing method) in lieu of manned LC No.354 at Km.694/21-23 bet. JAIRAMNAGAR-AKALTARA."** in the state of Chhattisgarh, hereby declares its intention to acquire such land; Any person interested in the said land may, within a period of 30 days for the date of publication of this notification in the official gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said act; Every objection shall be made to the competent Authority, namely, Sub Divisional Officer, Janjgir, SDM office, Janjgir , Chhattisgarh in writing ,and shall set out ground thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or

through a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections; Any order made by the Competent Authority under sub-section(2) of section 20D of the said Act shall be final; The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway project, namely, **" Bilaspur Divn.: Construction of RUB (by BOX Pushing method) in lieu of manned LC No.354 at Km.694/21-23 bet. JAIRAMNAGAR-AKALTARA."** (for Janjgir-Naila District) in the State of Chhattisgarh.

Name of District: Janjgir-Naila

Name of Tahsil: Akaltara

No.	Name of Village	No.	Khasra No.	Area (in Hect.)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Latia	1.	258/15	0.001027
		2.	235/9	0.002903
		3.	235/6	0.0006
		4.	235/3	0.005625
		5.	230/3	0.00882
		6.	229/2	0.000522

Total Land (Latia): - 0.019497 Hectare

[F. No.: DY.CE/GSU/BSP/ROB/LC No. 354/land acquisition/3]

SANJAY B. NAGBHIDKAR, Chief Administrative Officer/C/RSP

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.10.11 10:59:52 +05'30'